मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीराम कलपाती राजेन्द्रन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने के.आर. श्रीराम को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई

वे राजस्थान हाईकोर्ट के 43 वें मुख्य न्यायाधीश हैं

- राजस्थान आने से पहले के.आर. श्रीराम मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।

जयपुर, 21 जुलाई। राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने न्यायमूर्ति के आर श्रीराम को राजस्थान के चीफ जस्टिस (सीजे) पद की शपथ दिलाई। वे मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के 43 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यपाल की अनुमति लेकर राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश सहित, न्यायिक अधिकारी व वकील मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल और दिया कुमारी सहित अन्य लोगों ने सीजे श्रीराम को बधाई दी। गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट और वहां सीजे रहे न्यायमूर्ति केआर श्रीराम का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे श्रीराम का कार्यकाल 69 दिनों का रहेगा।

28 सितंबर, 1963 को मुंबई में जन्मे सीजे केआर श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद लंदन से मैरीटाइम लॉ में एलएलएम किया। वहीं, वे जुलाई 1986 को महाराष्ट्र एवं गोवा बार कौंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए। बतौर वकील, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता आयोगों, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और कंपनी कानून बोर्ड में वकालत की और काफी सफल रहे। उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2 मार्च 2016 को इस पद पर स्थायी कर दिया गया। जस्टिस श्रीराम को 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। दूसरी ओर, व्यक्तिगत जीवन में सीजे श्रीराम सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होते थे। उन्होंने कई सालों तक एक एनजीओ में उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। यह एनजीओ दिवंगत लोगों के लिए अंतिम संस्कार और श्राद्ध करने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा उन्हें गोल्फ खेलना भी पसंद है।

कोटा में संरक्षित प्रजाति का दुर्लभ ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' मिला

यह सांप जहरीला नहीं होता है, कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने धारीदार कुकरी सांप को संरक्षित प्रजाति माना।

कोटा शहर के बोरखेड़ा इलाके में दुर्लभ प्रजाति का ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' (धारीदार कुकरी सांप) मिला है। यह सांप जहरीला नहीं होता है और कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है।

कोटा, 21 जुलाई (निसं)। शहर के बोरखेड़ा इलाके में दुर्लभ प्रजाति का रेयर ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' (धारीदार कुकरी सांप) मिला है। यह सांप जहरीला नहीं होता है लेकिन कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है। नगर निगम के राकेश सेन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारां रोड स्थित जय हिन्द नगर में एक घर से सांप के बच्चे के निकलने की सूचना मिल रही थी। जब वे मौके पर गए तो उन्हें एक कुकरी स्नेक नज़र आया, जिसे उन्होंने रैस्क्यू किया। मकान मालिक ने बताया कि कुछ सांपों के बच्चे झाड़ू से बाहर निकाल दिए गए। यह ''धारीदार कुकरी सांप,'' जिसे अंग्रेजी में ''स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक'' कहते हैं, आमतौर पर 15 से 18 इंच लंबा होता है। इस सांप का ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का और नीचे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। यह सांप एक बार में 5 से 8 अंडे देता है।

कोटा के सर्प विशेषज्ञ विष्णु श्रृंगी ने बताया कि यह सांप कोटा में बहुत कम पाया जाता है। कोटा में इस सांप को लगभग 3 से 4 बार ही रेस्क्यू किया गया है। पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले ये सांप शर्मीले होते हैं, लेकिन छेड़े जाने पर काट लेते हैं। श्रृंगी ने बताया कि स्ट्रीक्ड कुकरी स्नेक को ''ऑलिगोडन टेनिओलेटास'' जीन्स के सांपों के रूप में भी जाना जाता है। अलग-अलग रंग होने के कारण इन्हें कुकरी स्नेक कहा जाता है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान में मिलने वाले ये सांप, भारत में मुख्य तौर पर केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये सांप जहरीले नहीं होते हैं लेकिन इसकी विशेषता यह है कि कुकरी चाकू के तरह इनके दांत मुड़े हुए होते हैं, जिनका उपयोग ये अंडों को खाने के लिए करते हैं। इन सांपों का मुख्य भोजन छिपकली, कीड़े और सरीसृप के अंडे होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने इसे संरक्षित प्रजाति माना है।

अमरिकन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से लगभग 50 मामले ट्रम्प प्रशासन द्वारा कुछ विदेशी छात्रों को उनके इमिग्रेशन रिकॉर्ड और आपराधिक रिकॉर्ड में अनियमितताओं के कारण निष्कासित करने के प्रयासों का हिस्सा थे। वाइट हाउस ऐसे 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में हार गया।

ट्रंप की पहल के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रपतियों, बराक ओबामा और जो बाइडेन द्वारा नियुक्त जज हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार,उन्होंने ट्रंप के रुख के खिलाफ 125 से ज़्यादा बार फैसला सुनाया है।

अपनी अवहेलना से दु:खी धनखड़ ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी मिली है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

लेकिन सरकार चाहती थी कि विपक्ष लोकसभा में भी हस्ताक्षर करे। लेकिन विपक्ष ने यह कहते हुये इनकार कर दिया कि राज्यसभा में तो पहले ही ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सरकार को सलाह दी थी कि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में एक साथ लाया जाए, लेकिन इसने एक समस्या का रुप ले लिया।

अगर ऐसा होता, तो दोनों सदनों के अध्यक्ष इसे खारिज नहीं कर सकते थे और इसे स्वीकार करना होता।

सरकार की ओर से धनखड़ को लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही थीं, जैसे कि वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ कर रहे थे और बार-बार यूपी जा रहे थे। इसके अलावा, सांसदों को बांटे गए लैपटॉप में घोटाले की बात भी उछाली गई। यह भी कहा गया कि राज्यसभा में कुछ लोगों को पैसे लेकर नौकरी दी गई। ऐसी ही कई अन्य बातें भी कही जा रही थीं।

कारण जो भी रहे हों, यह साफ है कि आज शाम 4:30 बजे तक उनके इस्तीफे का कोई संकेत नहीं था।

लेकिन उसके बाद अचानक इस्तीफा दे दिया गया।

यह भी साफ है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जिससे सरकार के भीतर एक अभूतपूर्व स्थिति बन गई है।

एक बार फिर मोदी विदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारत और मालदीव के रिश्ते इस समय एतिहासिक रूप से बेहद खराब हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार ने भारतीय सेना को मालदीव से हटने को कहा है और मालदीव सरकार चीन के काफ़ी करीब चली गई है। हिंद महासागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और भारत की पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। आलोचकों का कहना है कि इस यात्रा से केवल प्रतीकात्मक फायदे हो सकते हैं, जबकि असली नीतिगत बदलाव की उम्मीद कम है।

ब्रिटेन की यात्रा भी समय के लिहाज से ठीक नहीं मानी जा रही है। ब्रैग्ज़िट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर है, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर सीमित भूमिका से इसका सामना है। भारत-ब्रिटेन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद वहां नई सरकार बनी है, जिससे वार्ताओं में और देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ब्रिटेन भारत को कोई खास आर्थिक लाभ नहीं दे सकता। ऐसे में यह दौरा केवल औपचारिकता तक सीमित रह सकता है। यह संसद सत्र दो बड़े सुरक्षा मामलों, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमल, के बाद पहला सत्र है। इसके साथ ही अरुणाचल सीमा के पास चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर भी चिंता बढ़ी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री इन विषयों पर संसद में स्वयं बयान दें। उनकी अनुपस्थिति को जवाबदेही से बचने के तौर पर देखा जा रहा है, जो संसद की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करता है।

आलोचकों का कहना है कि यह फैसला भारत की विदेश नीति और घरेलू लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता जरूरी है, लेकिन संसद के अहम सत्रों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। संकट के समय संसद से दूरी, विपक्ष के उस आरोप को और बल देती है कि सरकार एकतरफा तरीके से चलाई जा रही है।

निष्कर्ष यह है कि विश्व के मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी की इस विदेश यात्रा से कोई ठोस रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना कम है। मालदीव पूरी तरह चीन के पाले में जा चुका है और ब्रिटेन अभी किसी महत्वपूर्ण समझौते की स्थिति में नहीं है। वहीं, भारतीय संसद में देश के सबसे गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री का विदेश दौरा लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी से अधिक कूटनीतिक दिखावे को प्राथमिकता देने जैसा है।

हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया

महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी

- हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दावे में बुनियादी खामिया हैं। सबूत भी पर्याप्त नहीं हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है।
- ज्ञातव्य है कि 11 जुलाई को मुम्बई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा घायल हुए थे और 19 साल बाद केस पर फैसला आया है।

मुंबई, 21 जुलाई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में 2006 मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों में आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेगी।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एक विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने जो सुबूत रखे गए, वे आरोपियों का अपराध साबित करने में अपर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि 'यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया था।'

उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दावे में कई बुनियादी खामियां हैं। पीठ ने अविश्वसनीय गवाहों, संदिग्ध पहचान परेड और यातना देकर इकबालिया बयान लेने के लिए भी जांच दल की आलोचना की। अदालत ने पाया कि इस्तेमाल हुए बम के ब्यौरे सहित दूसरे बुनियादी तथ्यों को भी स्थापित करने में एटीएस विफल रही है। गवाहों के बयानों और कथित बरामदगी का 'कोई साक्ष्य मूल्य नहीं' माना गया।

न्यायालय ने कहा कि जाँच एजेंसियाँ आरोपियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहीं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, अब सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया है कि हमलों में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

अदालत ने इस मामले में पाँच व्यक्तियों को मिली मृत्युदंड की सजा और शेष सात को मिली आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। यह फैसला हादसे के 19 साल बाद आया।

यह भयावह घटना 11 जुलाई, 2006 को तब हुई थी, जब शाम के व्यस्त समय में मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में पश्चिम रेलवे की ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को निशाना बनाकर बम विस्फोटों को अंजाम दिया गया। उन सिलसिलेवार विस्फोटों में सांताक्रूज, बांद्रा-खार रोड, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बोरीवली सहित कई स्थानों को निशाना बनाया। हताहतों की संख्या बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रेशर कुकर बमों ने 189 लोगों की जान ले ली और 700 से ज़्यादा घायल हो गए।

यह मामला महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को जांच के लिए सौंपा गया था। शुरूआती जाँच में आतंकवादी संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा और सिमी की संलिप्तता के संकेत मिले थे, जिसके बाद 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए। एटीएस की जांच के आधार पर विशेष मकोका अदालत ने सितंबर 2015 में सभी बारह अभियुक्तों को दोषी ठहराया था।

इनमें से पाँच को निचली अदालत ने मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। आरोपियों ने बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहाँ न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने लगातार सुनवाई की।

एटीएस ने अपनी जाँच ने हमलों को प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद फैसल शेख (लश्कर-ए-तैयबा का मुंबई प्रमुख) को हवाला से पैसा मिला था। न्यायिक जाँच में इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र एटीएस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

न्यायाधीश वर्मा के ''इम्पीचमैंट''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- महाधिवक्ता का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में गठित ''जांच समिति'' असंवैधानिक है, तथा इसके गठन से पुलिस के काम-काज में बेवजह दखल हो रही है।

गए एक अन्य लंबित महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, धर्मनिरपेक्षता व लोकतान्त्रिक मूल्य के प्रति संसद की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाया।

इस बीच, न्यायमूर्ति वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन-हाउस जांच को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह जांच संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सूचीबद्ध नहीं की है, क्योंकि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए कांग्रेस सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।

मार्च में आग लगने की सूचना पर आपातकालीन सेवा कर्मचारियों ने जब दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज वर्मा के आवास पर पहुंचकर आग बुझाई, तो उन्हें उनके आउट-हाउस में बड़ी मात्रा में आधी जली हुई नकदी मिली। उस समय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों की समिति बनाई, जिसने न्यायमूर्ति वर्मा को दोषी ठहराया।

जस्टिस संजीव खन्ना ने यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा गया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया, लेकिन न्यायिक कार्य से अलग रखा गया। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वकील एन. एन. नडुमपारा ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने जब केवल ''वर्मा'' कहकर उनका उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, अगर आप यह चाहते हैं कि मैं इस याचिका को खारिज कर दूं, तो इसे अभी खारिज किए देता हूँ। क्या न्यायमूर्ति वर्मा आपके मित्र हैं? वे अभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। आप उन्हें 'वर्मा' कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसका विरोध किया।

नडुमपारा की याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की ये मांग की गई है कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाए और इसकी जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्डरिंग रोकथाम कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

मार्च 14 को आग की सूचना पर दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारी न्यायाधीश के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्हें प्लास्टिक के थैलों में रखी बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी। नदुमपारा की याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने मौके पर वीडियो और फोटो तो लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि के. वीरास्वामी बनाम भारत सरकार केस के निर्णय के अनुसार, किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होती है।

वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति असंवैधानिक है और यह पुलिस की भूमिका में हस्तक्षेप करती है।

मानसून सत्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के नेता होने के नाते उन्हें बोलने का अवसर न देने का, आरोप लगाया।

सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यह खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मालदीव और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस दौरे पर विदेश मंत्री या अन्य कोई मंत्री भेजा जा सकता था, तथा प्रधानमंत्री को संसद सत्र के दौरान विदेश नहीं जाना चाहिए।

विपक्ष ने अब तक कम से कम 20 मुद्दों पर बहस के लिए नोटिस दिए हैं, जिनमें बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मणिपुर की स्थिति और कई पुलों के ढहने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

बांग्लादेश वायु सेना का एफ-7 विमान कॉलेज में क्रैश हुआ

ढाका, 21 जुलाई। बांग्लादेशी वायुसेना का एक एफ-7 प्रशिक्षण विमान सोमवार को कॉलेज परिसर में हादसे का शिकार हो गया। विमान कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि170 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल हैं। एक अन्य मृतक से जुड़ी जानकारियां अभी नहीं मिली हैं। हादसे के वक्त माइलस्टोन कॉलेज में बच्चे मौजूद थे। प्लेन क्रैश होने के बाद स्कूल-कॉलेज में अफरातफरी मच गई। मौके पर अग्निशमन और बचाव दलों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी घटना की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण विमान ने दोपहर लगभग 1:06 बजे उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई।

'ईडी सारी हदें पार कर रहा है'

अधिवक्ताओं को समन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी पर सख्त टिप्पणी की

- सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस विनोद चन्द्रन की बैंच ने कहा कि अधिवक्ता का अपने मुवक्किल से विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है उस पर नोटिस कैसे जारी हो सकता है।

नयी दिल्ली, 21 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तलब करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के तरीके पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि वह ''सारी हदें पार कर रहा है।''

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ईडी द्वारा हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए कई सख्त टिप्पणियां कीं और इस मामले (ईडी जांच) में दिशा-निर्देश बनाने का सुझाव दिया।

पीठ ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि इतने सारे मामलों में जहाँ उच्च न्यायालय ने सुविचारित आदेश पारित किए थे, ईडी केवल अपील दायर करने के लिए ही अपील दायर कर रहा है।

पीठ ने कहा, एक अधिवक्ता और मुवक्किलों के बीच संवाद विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है। उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए जा सकते हैं? वे सारी हदें पार कर रहे हैं...। सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिवक्ता दातार जैसे कानूनी पेशेवरों को हाल ही में ईडी द्वारा जारी किए गए नोटिस का वकालत के पेशे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बैंच ने कहा कि दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। अधिवक्ता ने तर्क पर क्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि झूठे आख्यान गढ़ कर संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमण और मेहता ने कहा कि अधिवक्ताओं को समन जारी करने के संबंध में मामला उच्चतम स्तर पर उठाया गया था और जाँच एजेंसी से कहा गया था कि वह अधिवक्ताओं को कानूनी सलाह देने के लिए नोटिस जारी न करे।

रेल्वे पेपरलीक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईएसएम कर्जन-बोरियावी, पश्चिम रेलवे, आणंद और रेलवे विभाग के अन्य लोगों द्वारा प्रश्नपत्र लीक करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। दोषियों ने प्रोबेशनरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि वसूली थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908